

(1) सिविल अपील क्रमांक: 26 / 15

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

सिविल अपील क्रमांक: 26 / 2015  
संस्थापन दिनांक 19 / 11 / 2015  
फाइलिंग नंबर-230303021212015

रामसिंह पुत्र गोकुल सिंह आयु 63 साल  
निवासी ग्राम भूरे का पुरा एण्डोरी  
तहसील गोहद जिला भिण्ड .....प्रतिवादी / अपीलार्थी

वि रु द्ध

गिराज सोनी पुत्र लक्ष्मण प्रसाद सोनी आयु 32 साल  
निवासी बडा बजार बार्ड नं0-12 गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0 .....वादी / प्रत्यर्थी

न्यायालय-श्री गोपेश गर्ग प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गोहद द्वारा  
व्यवहार वाद क्रमांक-09 बी / 2014 ई0दी0 में घोषित निर्णय दिनांक  
20 / 10 / 2015 से उत्पन्न सिविल अपील।

अपीलार्थी / प्रतिवादी द्वारा श्री एस0एस0 श्रीवास्तव अधिवक्ता ।  
प्रत्यर्थी / वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **25 जनवरी 2017** को घोषित किया गया)

1. प्रतिवादी / अपीलार्थी की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद श्री गोपेश गर्ग द्वारा सिविल वाद क्रमांक 09बी / 2014 ई0दी0 में घोषित निर्णय व डिक्री दिनांक 20 / 10 / 2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी / प्रत्यर्थी के मूल वाद को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है, कि प्रतिवादी / अपीलार्थी रामसिंह और वादी / प्रत्यर्थी गिराज संव्यवहार के समय एक दूसरे से परिचित थे, यह भी स्वीकृत है, कि प्रत्यर्थी / वादी गिराज सोनी का पिता लक्ष्मण प्रसाद जीवित है, जिसे रामसिंह पहले से जानता है और दोनों पक्षों के मध्य संव्यवहार अवश्य हुआ है।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी / वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादी गिराज वा0सा0-01 की दुकान सदर बजार गोहद में स्थित है,

प्रतिवादी ने वादी की दुकान से दिनांक 26/06/11 को 20,000/- (बीस हजार) रूपए कर्ज के लिए थे, वाद आधार लिखितम रुक्का इन्दुलतलब (प्रोमेशनरी नोट) प्र0पी0-01 निष्पादित कर हस्ताक्षरित कर वादी को दिया गया था। वादी उक्त रूपयों को प्रतिवादी से कई बार मांग चुका है, परन्तु प्रतिवादी रूपए नहीं देना चाहता है और रूपए देने में टालमटोल कर रहा है, तब वादी ने अंतिम बार एक लिखितम नोटिस प्र0पी0-02 जरिए पोस्ट प्रतिवादी को इन रूपयों के संबंध में दिया, जो प्रतिवादी को प्राप्त हो चुका है, परन्तु फिर भी प्रतिवादी ने वादी को रूपए वापिस नहीं किए हैं। दिनांक 26/06/14 को प्रतिवादी, वादी को गोहद बाजार में मिला तो वादी ने रूपए मांगे तो प्रतिवादी ने रूपए देने से स्पष्ट मना कर दिया। वादी के प्रतिवादी पर 20,000/- (बीस हजार) रूपए नगदी तथा दिनांक 26/06/11 से दिनांक 26/05/14 तक 35 माह का ब्याज दो रूपए प्रति सैकड़ा प्रतिमाह से 14,000/- (चौदह हजार) रूपए होते हैं, परन्तु वादी ब्याज छोड़ रहा है, केवल असल धनराशि 20,000/- (बीस हजार) रूपए की वसूली के लिए दावा कर रहा है, जो वादी, प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है, अतः प्रतिवादी के विरुद्ध के विरुद्ध वाद स्वीकार कर इस आशक की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया है, कि प्रतिवादी वादी को 20,000/- रूपए का भुगतान करे तथा प्रतिवादी, वादी को दावा दायरी दिनांक से पूर्णअदायगी तक दो रूपए प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करे।

4. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में यह अभिवचन किया है, कि वादपत्र में यह नहीं लिखा है, कि वादी की किस बाबत दुकान है, प्रतिवादी ने दिनांक 26/06/11 को वादी से कोई राशि उधार नहीं ली है, और न ही कोई रुक्का इन्दुतलब प्र0पी0-01 वादी के हक में संपादित किया है। वादी ने फर्जी रुक्का इन्दुतलब प्र0पी0-01 अपने पिता से मिलकर बनाया है, जिस पर प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिवादी को वादी का कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है, प्रतिवादी पर वादी की कोई राशि बकाया नहीं है, वादी ने रंजिशन प्रतिवादी को परेशान करने एवं नाजायज दबाव डालने के उद्देश्य से गलत दावा किया है, दावा बेरुनमियाद है, वादी अपने आपको साहूकार बता रहा है, जबकि उसके पास साहूकारी का कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए वादी का दावा चलने योग्य नहीं है, वादी ने रंजिशन गलत दावा पेश किया है, तथा गिरवी रखी चीज वापिस नहीं कर रहा है, अतः वादी का दावा निरस्त किए जाने की प्रार्थना की थी।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 20/10/15 को घोषित निर्णयानुसार वादी/प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से पेश की गई है।

6. प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील में मूलतः यह आधार लिया है, कि प्र0पी0-01 का रुक्काइन्दूतलब (प्रोमेशनरी नोट) वादी/प्रत्यर्थी द्वारा न तो लिखा गया है, न हस्ताक्षरित किया है, न ही उसे सक्ष्य में

ग्राह्य किया जा सकता है, तथा प्र०पी०-०१ के लेखक और पंचसाक्षी में से किसी के भी वादी/प्रत्यर्थी की ओर से कथन नहीं कराए जाने के बावजूद उसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित मानकर धन वसूली की डिक्री प्रदत्त करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, जबकि प्र०पी०-०१ का लेखक व साक्षी लक्ष्मण प्रसाद सोनी एवं अनुप्रमाणक साक्षी हजारी लाल राठौर दोनों जीवित हैं, वादी/प्रत्यर्थी गिराज सोनी ने न्यायालय में जो अभिसाक्ष्य दिया है, उसमें भी इस बात को स्वीकार किया है, कि प्र०पी०-०१ की लिखापट्टी उसने नहीं की, न उसके सामने हुई, न उसके हस्ताक्षर हैं, इसलिए वह प्रमाणित नहीं है और वादी/प्रत्यर्थी ने पिता के साथ दुकान पर बैठना बताया है, पिता का मजदूरी करना कहा है, कर्मचारी को मांग के लिए भेजने का तथ्य बनावटी बताया है, किसी कर्मचारी का भी कथन नहीं कराया है, जबकि प्र०पी०-०१ को प्रमाणित करने का भार उसी पर था, इसलिए वा०सा०-०१ का विश्वसनीय नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-११८ परिक्राम्य लिखित अधिनियम के आधार पर गलत डिक्री दी है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अवैध है और उसे सव्यय निरस्त किया जाए।

7. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है—

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक— ०९बी/२०१४ ई.दी में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक २०/१०/१५ प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

2. क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री किए जाने योग्य है?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ एवं ०२ का विश्लेषण एवं निराकरण**

8. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने और सुविधा की दृष्टि से उनका एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

9. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अंतिम मौखिक एवं लिखित तर्कों में अपील ज्ञापन में उठाए बिन्दुओं और लिए गए आधारों की तरह ही तर्क करते हुए मूलतः यह बताया है, कि वादी/प्रत्यर्थी गिराज सोनी, अपीलार्थी रामसिंह को जानता भी नहीं था, और उसके मद का संव्यवहार स्वभाविक रूप से संभव नहीं है, वादी/प्रत्यर्थी के पिता लक्ष्मण प्रसाद सोनी को ही रामसिंह जानता है, किंतु प्र०पी०-०१ के रुक्का इन्दूतलब के संबंध में न तो लक्ष्मण प्रसाद सोनी का कथन कराया, न ही हजारी लाल का कथन कराया, जबकि वे जीवित हैं और कथन देने में समर्थ हैं, लक्ष्मण प्रसाद सोनी वादी/प्रत्यर्थी का पिता होकर हितबद्ध भी हैं, उसके बावजूद उसका कथन न कराए जाने का कोई कारण भी अभिलेख पर नहीं है, इसलिए वादी/प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा इस बात की निर्मित होती है, कि प्र०पी०-०१ फर्जी तौर पर वादी/प्रत्यर्थी ने अपने पिता से मिलकर तैयार कर लिया

और उसके आधार पर बगैर साहूकारी लाईसेंस के झूठा दावा गिरवी वस्तुएं न लौटाकर बेईमानी करने के उद्देश्य से पेश किया है, जो उसे रंजिशन परेशान करने और अनैतिक दबाव डालने के लिए किया है, तथा उसकी गिरवी रखी हुई वस्तुएं अभी वापिस नहीं की जा रही हैं, प्र०पी०-०१ किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं है, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्र०पी०-०१ बगैर समुचित साक्ष्य के प्रमाणित मानकर धन वसूली और ब्याज की डिक्री अवैधानिक रूप से पारित की है, प्रत्यर्थी/वादी की ओर से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने और प्र०पी०-०१ के लेखक के कथन हेतु पुनः सुनवाई की वैकल्पिक सहायता भी दिलाई जाना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि वादी को अपनी कर्मी पूर्ति करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाए और मूल वाद सव्यय खारिज किया जाए।

**10.** प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित एवं मौखिक खण्डन तर्कों में यह बताया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय साक्ष्य व विधि के अनुरूप है, और किसी तथ्य विशेष को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं है, वादी/प्रत्यर्थी का पिता जीवित अवश्य है, किंतु वह स्थाई रूप से अपंग व अस्वस्थ है, चलने फिरने से लाचार है, दुकान पर बैठकर अपना काम करता है, और वादी/प्रत्यर्थी का व्यवसाय में सहयोग करता है, इस कारण लक्ष्मण प्रसाद सोनी का कथन प्रकरण में नहीं हुआ था, किंतु अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से इस संबंध में आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाई गई है, और वह प्र०पी०-०१ को फर्जी बता रहा है तथा दूसरी ओर गिरवी का संव्यवहार भी बताता है, इसलिए अपीलार्थी प्रतिवादी के आधारों में विधिक बल नहीं है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित व पुष्टिकारक है, इसलिए अपील सव्यय निरस्त की जाए। विकल्प में वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया है, कि यदि न्यायालय आदेश करे तो वह लक्ष्मण प्रसाद सोनी का कथन भी करा सकता है, जिसके लिए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यावर्तित कर दिए जाने का वैकल्पिक तर्क किया है।

**11.** प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, ऐसे में संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना विधिक अपेक्षा में शामिल है, तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1994 भाग-01 एम०पी०जे०आर० पेज-148** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

**12.** अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से यह विदित

होता है, कि वादी/प्रत्यर्थी गिराज सोनी द्वारा प्र0पी0-01 के प्रमोशनरी नोट के आधार पर अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध 20,000/- (बीस हजार) रूपए धन वसूली का वाद पेश कर चौबीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज दावा दयारी दिनांक से दिलाए जाने की प्रार्थना की गई थी और संव्यवहार दिनांक 26/06/11 से 26/05/14 कुल 35 माह का ब्याज को उसके द्वारा अभिवचनों के माध्यम से त्यागा गया था, जबकि 3 वर्ष अर्थात 36 माह के ब्याज को वसूला जा सकता है, और जो ब्याज वादी/प्रत्यर्थी द्वारा त्यागा गया उसे भी वह वसूल सकता था, किंतु संभवतः न्यायशुल्क के अभाव में उसे त्यागा गया है, हालांकि ब्याज त्यागने के वादी के विवेकाधिकार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, किंतु उसके ब्याज त्याग के बिन्दु को देखते हुए आगे यह देखना होगा कि जो ब्याज विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिलाया गया है, क्या वह विधि सम्मत है।

**13.** मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है, कि प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थी गिराज सोनी वा0सा0-01 के रूप में और अपीलार्थी/प्रतिवादी रामसिंह प्र0सा0-01 के रूप में परीक्षित हुआ है, इसके अलावा प्र0पी0-01 का रुक्काइन्दूतलब (प्रमोशनरी नोट) और दावा पूर्व दिया गया मांग सूचनापत्र प्र0पी0-02 एवं उसकी रजिस्ट्री की रशीद प्र0पी0-03 के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश हुए हैं, इसलिए उभयपक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किए जाने को देखते हुए, संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होगा, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है और वाद डिक्री किया है, वह विधिक दृष्टि से पुष्टि योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्र0पी0-01 के प्रमोशनरी नोट को कूटरचित होने का और पिता पुत्र द्वारा मिली भगत से तैयार कर लेने का आक्षेप किया है।

**14.** प्र0पी0-01 के प्रमोशनरी नोट के साक्षी लक्ष्मण प्रसाद सोनी और हजारी लाल राठौर में से किसी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है, तथा प्र0पी0-01 पर वादी/प्रत्यर्थी गिराज सोनी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं, वा0सा0-01 के रूप में उसने जो कथन दिया है, उसके पैरा-05 में इस बात को स्वीकार किया है, कि प्र0पी0-01 उसके पिता द्वारा लिखा गया था, तथा पिता के ही ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताए हैं, अर्थात उसने नहीं लिखा। ऐसे में प्र0पी0-01 वा0सा0-01 के अभिसाक्ष्य से विधि सम्मत तरीके से प्रमाणित नहीं हो सकता है, उसके लिए लेखक या पंचसाक्षी में से किसी से पुष्टि आवश्यक है, अंतिम तर्कों में यह स्वीकार किया है, कि प्र0पी0-01 के दोनों साक्षी लक्ष्मण प्रसाद सोनी और हजारी लाल राठौर जीवित हैं और उन्हें साक्ष्य में तलब किया जा सकता है, तथा यदि कोई साक्षी अस्वस्थ है और न्यायालय में आकर साक्ष्य नहीं दे सकता है, तो उसका कमीशन पर कथन कराया जा सकता है। वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से लक्ष्मण प्रसाद की साक्ष्य के लिए मामले को प्रत्यावर्तित किए जाने की प्रार्थना की है, जिसका अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से विरोध नहीं किया गया है, तथा प्रकरण में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हैं, उससे भी पक्षकारों के मध्य के विवाद के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए मामला प्रत्यावर्तित किए जाने योग्य इस आधार पर भी है, कि वादी स्वयं यह बताता है, कि उसकी आभूषणों की रिपेयरिंग की दुकान है, जहां पिता मजदूरी करता है और

वह मदद करता है, जबकि दुकान स्वयं की बता रहा है, ऐसे में पिता का मजदूरी करना नहीं माना जा सकता है और वादी की हैसियत स्वामी की हो जाती है तथा वह प्रतिवादी को प्र०पी०-०१ के तहत दिए गए रूपए स्वयं अपने पास से देना कहता है और प्र०पी०-०१ की लिखापट्टी स्वयं करने से इन्कार करता है, ऐसे में लक्ष्मणप्रसाद सोनी की साक्ष्य प्रकरण के लिए आवश्यक है, जो जीवित भी है, जिसका असानी से बिना किसी अनुचित बिलंब के साक्ष्य लिया जाकर वास्तविक निराकरण संभव है, क्योंकि प्रतिवादी/अपीलार्थी लक्ष्मण प्रसाद सोनी से पूर्व परिचित होना कहता है, और गिराज को जानने से वह इन्कार करता है, तथा लक्ष्मण सोनी की दुकान पर चीज रखकर रूपए उधार लेने की बात पैरा-०६ में स्वीकार करता है, ऐसी स्थिति में लक्ष्मण प्रसाद सोनी के अभिसाक्ष्य के अभाव में पक्षकारों मध्य विवाद का पूर्णरूपेण और विधि सम्मत निराकरण संभव नहीं है, तथा वादी/प्रत्यर्थी पर साहूकारी का लाईसेंस भी नहीं है, ऐसे में ब्याज की पात्रता मध्यप्रदेश साहूकारी विधान १९३४ की धारा-०३ के अंतर्गत है, ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि सम्मत नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रोमेशनरी नोट कम से कम एक गवाह से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है और गवाहों के जीवित होने को देखते हुए, मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किए जाने योग्य है और ऐसा करने से किसी पक्षकार को किसी कमी की पूर्ति की आशंका निर्मूल है, क्योंकि आवश्यक साक्षी के अभाव में न्यायसंगत निराकरण नहीं हो सकता है, और कोई साक्षी परीक्षित होता है, तो दूसरे पक्ष को भी प्रतिपरीक्षा के माध्यम से अपना पूरा पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त होता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त कर लक्ष्मण प्रसाद सोनी को परीक्षित कराते हुए पुनः गुणदोषों पर निराकरण हेतु उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निराकरण करने हेतु मूल वाद प्रत्यावर्तित किया जाता है।

**15.** उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है, कि वह अधीनस्थ न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने हेतु स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि और अभिभाषक मारफत दिनांक ०६/०२/२०१७ को ठीक ११:०० बजे उपस्थित हों।

**16.** प्रकरण की परिस्थितियों और प्रकृति को देखते हुए उभय पक्ष अपना-अपना प्रकरण व्यय स्वयं वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किए जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम जो वह जोड़ी जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक: २५/०१/२०१७

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)